

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्री महेश चन्द्र वर्मा, प्राध्यापक (भूगोल) राउमावि कोहाला, बांसवाडा जिनकी जन्मतिथि 10.11.1959 है। इन्होंने नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्री महेश चन्द्र वर्मा, प्राध्यापक (भूगोल) राउमावि कोहाला, बांसवाडा द्वारा 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.08.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री महेश चन्द्र वर्मा, के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विधाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/स्वै0सेवा निवृ0/2012/

दिनांक:- 20/06/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 3 संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें।
- 4 संबंधित प्राध्यापक श्री महेश चन्द्र वर्मा, प्राध्यापक (भूगोल) राउमावि कोहाला, बांसवाडा
- 5 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
- 6 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर